



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20022021-225299
CG-DL-W-20022021-225299

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20—फरवरी 26, 2021 (फाल्गुन 1, 1942)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2021 (PHALGUNA 1, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	195	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	179	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	421	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	321
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	87
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	333
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	195	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	179	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	421	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	321
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	87
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	333
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्च शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 फरवरी 2021

संकल्प

विषय: राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद का पुनर्गठन।

सं. 7-1 / 2014-बीपी—भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) ने देश की समग्र आवश्यकताओं के संदर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु 1967 में एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना की थी। बाद में 1970 में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसने फरवरी 1974 तक काम किया। 15 सितंबर 1983 को राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद नामक एक नया निकाय स्थापित किया गया था और यह 3 सितंबर 1986 तक काम करता रहा। इसके बाद, प्रत्येक बार तीन वर्ष की अवधि के लिए, परिषद का 6.11.1990, 18.12.1997, 2.9.2008 और 21.10.2011 को पुनर्गठन किया गया था। इस परिषद का पिछली बार 24.11.2017 को तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 23.11.2020 तक के लिए पुनर्गठन किया गया था।

2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने अब राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जैसा निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

3. परिषद के कार्य

पुस्तकों के लेखन/ ग्रंथकारिता, पुस्तकों के उत्पादन, प्रकाशन और बिक्री; मूल्य और कॉपीराइट, पुस्तक पढ़ने की आदत, विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न आयु वर्गों और सामान्य रूप से भारतीय पुस्तकों की गुणवत्ता और विषय-सामग्री हेतु विभिन्न आबादी वर्गों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता एवं पहुंच को कवर करने के साथ-साथ पुस्तक संवर्धन के सभी प्रमुख पहलुओं संबंधी विचारों को साझा करने को आसान बनाना।

4. परिषद के मुख्यालय और सचिवालय

परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसका सचिवालय उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में पुस्तक संवर्धन प्रभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

5. परिषद का संघटन

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद का संघटन निम्नवत होगा:

(क) अध्यक्ष

माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार

(ख) उपाध्यक्ष

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (उच्चतर शिक्षा), भारत सरकार

(ग) साहित्यकार / लेखक (तीन सदस्य):

1. प्रो. गोपाल शर्मा, प्राध्यापक, अंग्रेजी, अम्बा मिच विश्वविद्यालय, इथियोपिया ;
2. प्रो. कुमुद शर्मा, हिंदी, दिल्ली विश्वविद्यालय;
3. प्रो. मंजूला राना, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल, उत्तराखण्ड;

(घ) पत्रकार:

1. श्री आलोक मेहता, प्रमुख संपादक, आउटलुक;
2. श्री अरुण गंगाधर करमरकर, प्रमुख संपादक, त्रैमासिक विमर्श, पुणे;

(ङ) कॉपीराइट विशेषज्ञ:

1. श्री वेद प्रकाश भदौला, कृष्णा बुक डिपो, मेरठ;

(च) पदेन सदस्य:

- i. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार
- ii. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार
- iii. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
- iv. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
- v. सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
- vi. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
- vii. अध्यक्ष, नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी), भारत, नई दिल्ली
- viii. अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
- ix. निदेशक, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता
- x. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली
- xi. अध्यक्ष, सीएपीईएक्सआईएल, नई दिल्ली
- xii. संयुक्त सचिव (पुस्तक संवर्धन), शिक्षा मंत्रालय: सदस्य-सचिव
- xiii. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- xiv. अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)
- xv. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए)
- xvi. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)
- xvii. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)
- xviii. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
- xix. अध्यक्ष, अखिल भारतीय साहित्य परिषद

6. सदस्यों का कार्यकाल

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परिषद पदेन सदस्यों के अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष होगा, जब तक कि किसी कम कार्यकाल का उल्लेख न किया जाए; लेकिन वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। जहां परिषद का कोई सदस्य अपने पद या अपनी नियुक्ति के कारण सदस्य बन जाता है, उस पद या नियुक्ति की समाप्ति पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) के बीच सभी आकस्मिक रिक्तियां, उस प्राधिकारी या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को नामित किया है जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है और आकस्मिक रिक्ति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस शेष कार्यकाल अवधि के लिए परिषद का सदस्य होगा, जिस अवधि के लिए, वह व्यक्ति परिषद का सदस्य होता।

7. बैठकें और उप-समितियां

परिषद की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। परिषद विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समितियों / पैनलों का गठन कर सकती है जिसकी आवश्यकतानुसार जितनी चाहे बैठकें हो सकती हैं।

परिषद की बैठकों से प्राप्त विचारों और सुझावों को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबंधित मंत्रालयों/ एजेंसियों द्वारा अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने में प्रासंगिक सीमा तक, विचार किए जाने वाले इनपुट के तौर पर प्रलेखित किया जाएगा।

परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यसूची एवं नोट, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों से समय-समय पर प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और नीति आयोग को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जनता की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन
अतिरिक्त महा निदेशक (उच्चतर शिक्षा विभाग)

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110001, the 8th February 2021

RESOLUTION

Subject: National Book Promotion Council-Reconstitution of – regarding-

No. 7-1/2014-BP—The Government of India, Ministry of Education (Department of Higher Education), had set up a National Book Development Board in 1967 to lay down guidelines for the development of the book industry in the context of the overall requirements of the country. The Board was subsequently reconstituted in 1970 and functioned till February 1974. A new body called the National Book Development Council was set up on the 15th September 1983 and functioned till 3rd September 1986. The Council was thereafter reconstituted on 6.11.1990, on 18.12.1997, on 2.9.2008 and on 21.10.2011 each for a period of three years. The Council was last reconstituted on 24.11.2017 for a period of three years i.e. up to 23.11.2020.

2. The Government of India, Ministry of Education, has now decided to reconstitute the National Book Promotion Council as indicated in the following paragraphs.

3. Functions of the Council

To facilitate the exchange of views on all major aspects of book promotion inter-alia covering writing/authorship of books, production, publication and sale of books; prices and copyright, habit of book reading, availability and reach of books for different segments of population, for various age-groups in different Indian languages and the quality and content of Indian books in general.

4. Headquarters and Secretariat of the Council

The Headquarters of the Council shall be at New Delhi and its Secretariat will be provided by the Book Promotion Division in the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India.

5. Composition of the Council.

The National Book Promotion Council will have the following composition:

(a) Chairman

Hon'ble Minister of Education, Government of India.

(b) Vice-Chairman

Hon'ble Minister of State for Education (Higher Education), Government of India.

(c) Authors/ Writers (Three Members):

1. Prof. Gopal Sharma, English Professor, Amba Mich University, Ethiopia;
2. Prof. Kumud Sharma, Hindi, Delhi University;
3. Prof. Manjula Rana, Professor and Head of Department, Hindi, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Garhwal, Uttarakhand;

(d) Journalists:

1. Shri Alok Mehta, Editor in Chief, Outlook;
2. Shri Arun Gangadhar Karmarkar, Editor in Chief, Tremasik Vimarsh, Pune;

(e) Expert in Copyright:

Shri Ved Prakash Bhadola, Krishna Book Depot, Meerut;

(f) Ex-officio Members:

- (i) Secretary, Department of Higher Education, GOI
- (ii) Secretary, Department of School Education & Literacy, GOI
- (iii) Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, GOI
- (iv) Secretary, Department of Consumer Affairs, GOI
- (v) Secretary, Department of Commerce, GOI
- (vi) Secretary, Ministry of Culture, GOI

- (vii) Chairman, National Book Trust, Indian, New Delhi
- (viii) President, Sahitya Akademi, New Delhi
- (ix) Director, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Kolkata
- (x) President, Federation of Indian Publishers, New Delhi
- (xi) President, CAPEXIL, New Delhi
- (xii) Joint Secretary (Book Promotion), MoEd : Member – Secretary
- (xiii) Chairman, University Grants Commission
- (xiv) Chairman, Central Board of Secondary Education (CBSE)
- (xv) Vice-Chairman, National University of Educational Planning & Administration (NUEPA)
- (xvi) Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS)
- (xvii) Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)
- (xviii) Director, National Council for Educational Research & Training, New Delhi
- (xix) President, Akil Bharatiya Sahitya Parishad

6. Tenure of Members

The term of the National Book Promotion Council shall be three years. The tenure of the Chairman, Vice-Chairman and each member of the Council, other than Ex-officio members, shall normally be three years, unless a shorter term is indicated; but they will be eligible for re-appointment. Where a Member of the Council becomes a member by reason of the office or appointment s/he holds, her/his membership of the Council shall stand terminated when s/he ceases to hold that office or appointment. All casual vacancies among the Members (other than ex-officio members) shall be filled by the authority or body who nominated the member whose place has fallen vacant and the person so appointed to a casual vacancy shall be a Member of the Council for the residual period of the term for which the person whose place has been filled, would have been a Member.

7. Meetings and Sub-Committees

The council shall meet at least once a year. The Council may set up Committees/Panels for specific purposes which may meet as frequently as required.

The views and suggestions emerging from the meetings of the Council will be documented by the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India, as inputs to be taken note of by the concerned Ministries/Agencies of the Government of India, to the extent relevant in formulating their policies and programmes.

For each meeting of the Council, the agenda and notes thereon will be prepared by the Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India, on the basis of suggestions received from Members of the Council from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and NITI Aayog.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, for information of the general public.

MADAN MOHAN
Additional Director General (HE)